रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258310
CG-DL-E-29102024-258310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/ कार्तिक 7, 1946
No. 610] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि. 668(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी II, अवर श्रेणी लिपिक तथा बहुकार्य कर्मचारी वृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी II, अवर श्रेणी लिपिक तथा बहुकार्य कर्मचारी वृंद (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **ये नियम,** इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्ंतभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्ंतभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	8* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु. 25500-21100)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	आमेलन के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रू.) में श्रेणी में आठ वर्ष नियमति सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी की ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो। प्रतिनियुक्ति या आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, - (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200) में या समतुल में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष सेवा की हो, तथा जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हों, अर्थात :- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास; और (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम:- अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट की दर पर या हिन्दी में तीस शब्द प्रति मिनट की दर पर टंकण गति, केवल कंप्यूटर पर। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4:- सभी अधिकारियों की पद पर नियुक्ति, चाहे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त प्रशिक्षण करना अपेक्षित होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह ‘ग‘ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (कार्यान्वयन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्यान्वयन) - सदस्य; और 3. अन्य विभाग से अवर सचिव - सदस्य। समूह ‘ग‘ विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नकलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (कार्यान्वयन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव – अवर सचिव (कार्यान्वयन) से भिन्न - सदस्य; और 3. अनुभाग अधिकारी (कार्यान्वयन) - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. आशुलिपिक श्रेणी-II	11 * (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (रु. 25500-81100)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिसको कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाए।

(7)	(8)
(क) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) कौशल परीक्षा सन्नियम:- अभ्यर्थी निम्नलिखित के लिए समर्थ होगा - (i) दस मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की दर पर श्रुतलेख (ii) अनुलिपिकरण, अंग्रेजी के लिए 50 मिनट तथा हिन्दी के लिए 65 मिनट, केवल पर। टिप्पण-1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। टिप्पण :- केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण:- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुटटी या किन्ही अन्य परिस्थितयों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी,- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह 'ग ' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (कार्यान्वयन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्यान्वयन) - सदस्य; और 3. अन्य विभाग से अवर सचिव - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अवर श्रेणी लिपिक	8* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)	अचयन	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)	(8)	(9)
शैक्षिक अर्हताएं: (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण; (ii) कौशल प्रशिक्षण सन्नियम: अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की दर पर या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की दर पर टंकण गति, केवल कंप्यूटर पर (समय अनुज्ञात- दस मिनट) टिप्पण-1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	हां, स्तंभ (11) के अधीन इंगित के विस्तार तक।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।

(10)	(11)
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 10% विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा; और (iii) 5% ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति:- (i) 10% रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स में स्तर -II (18000-56900 रू.) में समूह 'ग' कर्मचारियों से भरी जाएंगी तथा जो मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हों और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण-1:- सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा की पात्रता 45 वर्ष तक है तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50 वर्ष तक है। टिप्पण-2:- यदि परीक्षा में खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी अर्हित होते हैं, तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों से उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (ii) 5% रिक्तियां समूह 'ग' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह उपयुक्तता आधार पर भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रू0) में पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा पूर्ण की हो। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक या उप सचिव (कार्यान्वयन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्यान्वयन) - सदस्य; और 3. अन्य विभाग से अवर सचिव - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (कार्यान्वयन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव – अवर सचिव (कार्यान्वयन) से भिन्न - सदस्य; और 3. अनुभाग अधिकारी (कार्यान्वयन) - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	10* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रु. 18000-56900)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थीयों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण। टिप्पण-1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों की अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण:- केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (कार्यान्वयन) - अध्यक्ष; 2. अनुभाग अधिकारी (कार्यान्वयन) - सदस्य; और 3. अनुभाग अधिकारी – अनुभाग अधिकारी (कार्यान्वयन) से भिन्न - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 12013/10/2023-रा.भा. (कार्यान्वयन-1)

नरेश कुमार सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

G.S.R. 668(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Implementation Offices of the Department of Official Language, (Group "C" Posts) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Upper Division Clerks, Stenographer Grade II, Lower Division Clerks and Multi-Tasking Staff in the Regional Implementation Offices of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Regional Implementation Offices of the Department of Official Language, Upper Division Clerk, Stenographer Grade II, Lower Division Clerk and Multi-Tasking Staff (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Upper Division Clerk.	8* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for absorption.	By promotion, failing which by deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Lower Division Clerk in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation or absorption:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,- (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (b) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the post of Lower Division Clerk in level - 2 in the pay matrix (Rs.19960-63200) or equivalent in the parent cadre or department, and possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 12th class pass from a recognized Board; and (ii) Skill Test Norms:- Typing speed at the rate of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi only on computer. **Note 1.-**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4.-**All officers on appointment to the post whether by promotion, deputation/absorption shall be required to undergo suitable training as may be specified by the competent authority.

If a Departmental Promotion Committee exists, what its composition.
(12)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Implementation) -Chairperson; 2. Under Secretary (Implementation) -Member; and 3. Under Secretary from other Department -Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Under Secretary (Implementation) -Chairperson; 2. Under Secretary-Other than Under Secretary (Implementation) -Member; and 3. Section Officer (Implementation) -Member.
Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Stenographer Grade II.	11* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) 12th class pass from a recognised Board; (b) Skill Test Norms:- the candidate shall be able to,- (i) take Dictation at the rate of eighty words per minute for ten minutes; (ii) transcript English for fifty minutes and Hindi for sixty-five minutes only on computer. Note 1.-Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note.-There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment through Staff Selection Commission. **Note.-**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director or Deputy Secretary (Implementation) -Chairperson; 2. Under Secretary (Implementation) -Member; and 3. Under Secretary from other Department -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Lower Division Clerk.	8* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.— The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the	Educational qualifications: (i) 12th class pass from a recognised Board ; (ii) Skill Test Norms: Typing speed at the rate of thirty five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi only on computer (Time allowed - ten minutes) (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10,500 key depression per hour or 9000 key depression per hour on an average of five key depressions for each word). Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing , in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that

Staff Selection Commission.	sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Yes, to the extent indicated under column (11).	Two years. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) Eighty–five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) ten per cent. by promotion on the basis of departmental qualifying examination; and (iii) five per cent. by promotion on the basis of seniority-cum-fitness.

(11)
Promotion:- (i) Ten per cent of the vacancies shall be filled from amongst Group 'C' staff in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) and who possess 12th class pass from recognised Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. Note 1.- The maximum age-limit for eligibility for examination is upto the age of forty-five years in case of general candidates and upto fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Note 2.- If more of such employees than the number of vacancies available under clause (i) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) five per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have completed three years regular service in the posts in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900). Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director or Deputy Secretary (Implementation) -Chairperson; 2. Under Secretary (Implementation) -Member; and 3. Under Secretary from other Department -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirming) consisting of:- 1. Under Secretary (Implementation) -Chairperson; 2. Under Secretary-Other than Under Secretary (Implementation) -Member; and 3. Section Officer (Implementation) -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Multi-Tasking Staff.	10* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note**.- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	10th class pass from a recognised Board. Note 1.- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.-The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years. Note.-There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Under Secretary (Implementation) - Chairperson; 2. Section Officer (Implementation) - Member; and 3. Section Officer – other than Section Officer (Implementation) - Member.	Not applicable.

[F. No. 12013/10/2023-OL (Impl. 1)]

NARESH KUMAR SAINI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.29 15:46:37 +05'30'